



राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस०यू०एल०एम०) उ०प्र०
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण, - सूडा उ.प्र.)



प्रथम तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

दूरभाष एवं फ़ैक्स: 0522-2307798 e-mail: nulmup@gmail.com website: www.sudaup.org

पत्रांक 669/241/NULM/तीन/2001(SUH)

दिनांक 1-12-2017

अति महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला नगरीय विकास अभिकरण
उ०प्र०।
2. समस्त सी०पी०ओ०/परियोजना निदेशक
जिला नगरीय विकास अभिकरण
उ०प्र०।
3. समस्त नगर आयुक्त
नगर निगम, उ०प्र०।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत

विषय:- दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के पोर्टल पर प्रदेश के सभी कार्यशील आश्रय गृहों का विवरण (shelter profile) अपलोड करने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं०- 669/241/NULM/तीन/2001(SUH) दिनांक 02.11.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से प्रमुख सचिव महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में नगर निगमों में संचालित आश्रय गृहों के सम्बन्ध में निर्धारित दो प्रारूपों में तत्काल सूचना उपलब्ध कराने के साथ ही 01 नवम्बर 2017 से शेल्टर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक दिन ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई थी जो कि अद्यतन मेल के द्वारा ही (प्रारूप 1) नोडल अधिकारी/शेल्टर प्रबंधकों का विवरण, अलीगढ़, मेरठ एवं बरेली द्वारा ही सूचना उपलब्ध करायी गयी है, जबकि शेल्टर होम में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल अलीगढ़, द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है। शेष सभी शहरों से निर्धारित प्रारूपों में सूचनाएं अप्राप्त हैं। यह अत्यन्त खेदजनक स्थिति है। आप सभी अवगत हैं कि प्रकरण मा० उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है तथा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण की सतत समीक्षा की जा रही है मा० उच्चतम न्यायालय में औसतन हर 15 दिवस पर सुनवाई हो रही है। मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति का गम्भीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त की गई है तथा राज्य सरकार की तरफ से अधोहस्ताक्षरी द्वारा विगत एक माह के भीतर दो बार शपथ पत्र दाखिल किया गया है। मा० उच्चतम न्यायालय में दिनांक 13.12.17 को अगली तिथि नियत है।

उपरोक्त प्रारूपों पर सूचना के साथ-साथ नगर निकायों द्वारा संचालित सभी शेल्टर होम की प्रोफाइल निर्धारित संलग्न प्रारूप 'क' के अनुसार अपलोड की जानी है क्योंकि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित टीम के निर्देश के अनुक्रम में भारत सरकार द्वारा शेल्टर होम के सम्बन्ध में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की वेबसाइट DAY-NULM पर अलग से पोर्टल बनाया गया है जिससे नियमित प्रिंट निकालकर समीक्षा प्रत्येक स्तरों से की जा रही है।

सूच्य है कि प्रकरण की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित पर तत्काल कार्यवाही कर सूचनायें प्राथमिकता के आधार पर तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें:-

1. प्रमुख सचिव महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रारूप 1 पर प्रत्येक दशा में 05.12.2017 तक ईमेल nulmup@gmail.com तथा प्रारूप 1 पर नियमित प्रत्येक दिन सूचना के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करायें।
2. संलग्न प्रारूप पर शेल्टर प्रोफाइल की सूचना 05.12.2017 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें ताकि उक्त सूचना भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाये जिसे प्रदेश के संचालित शेल्टर होम की सूचना भारत सरकार को नियमित प्राप्त हो सके एवं मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा लगातार की जा रही सुनवाई में संदर्भित किया जा सके।
3. प्रस्तर दो में उल्लिखित सूचना में Shelter Management Committee पद Position में शेल्टर मैनेजमेंट कमेटी का गठन एवं कम से कम 1-2 बैठक कर उसकी सूचना अलग

से भेजे तभी Portal पर इन्ट्री हो पायेगी। शेल्टर मैनेजमेंट कमेटी प्रत्येक शेल्टर हेतु शासनादेश सं०- 3964/नौ-7-16-98(जनरल)/2016 दिनांक 28.06.2016 के अनुक्रम में गठित किया जाना है। शेल्टर होम हेतु यदि शेल्टर मैनेजमेंट कमेटी का गठन नहीं किया गया हो तो तत्काल शासनादेश के अनुपालन में गठन कराकर बैठक करा दें अन्यथा शेल्टर प्रोफाइल भी अपलोड नहीं हो पायेगी।

4. निकाय द्वारा संचालित सभी शेल्टर होम में शासनादेश संख्या 1006/69-1-2017-11(रिट)/2014 दिनांक 10.07.17 के अनुक्रम में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में दिये गये आदेश के अनुसार तत्काल सेवाओं और सुविधाओं की उपलब्धता कराते हुए शासनादेश के साथ संलग्न प्रारूप में सूचना 05.12.2017 तक उपलब्ध कराये।
5. निकायों द्वारा संचालित सभी आश्रयों के साथ ही दीनदयाल अन्त्योदय योजना-शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत स्वीकृत एवं निर्मित आश्रय गृहों का संचालन भी नगरीय निकायों द्वारा उल्लिखित शासनादेश दिनांक 28.06.17 के अनुपालन में किया जाना है।
6. प्रमुख सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के पत्र सं०-1798/69-1-2017-11 (रिट)/2014 दिनांक 20.11.2017 में उल्लिखित बिन्दुओं के अनुपालन में शेल्टर होम निर्माण हेतु भूमि का चिन्हांकन करते हुए अपेक्षित आख्या भी तत्काल भेजना सुनिश्चित कराये।
7. नगरीय निकायों एवं दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत संचालित सभी आश्रय गृहों में मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करायी जानी है, जिसके दृष्टिगत यह आवश्यक है कि सभी शेल्टर होम के अन्तःवासियों को आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य सेवाएं जिला अस्पताल से समन्वय कर करायी जाय तथा यथावश्यक आश्रय गृहों में भी हेल्थ कैम्पों का नियमित आयोजन कराना सुनिश्चित किया जाय।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रकरण की मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा नियमित सुनवाई करते हुए मानीटरिंग किये जाने के दृष्टिगत उपरोक्त सभी सूचनाएं प्रत्येक दशा में दिनांक 02.12.2017 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराये, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता किसी भी स्तर से न की जाय।

- संलग्नक- i) शेल्टर प्रोफाइल प्रोफार्मा,
ii) प्रारूप-1
iii) प्रारूप-2

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०।
3. समस्त परियोजना अधिकारी, डूडा उ०प्र०।
4. सहायक वेबमास्टर को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

SUH Shelter Profile

State :	ULB :	Name of the City :
Name of the Shelter :	Plot No. :	Street :
Landmark :	Ward No. :	Shelter Type :
Name of the SMA :	Category :	Capacity :
Date of Operational :	Funding Source :	No. of inmates in Shelter :

Shelter Management Committee in Position :		
Staff in Position for Shelter Management :		
Name	Designation	Contact No

Detail of inmates :

If General Shelter	
No. of Families	
No. of Men	
No. of Women	
No. of Children	
Other if any	

If Special Shelter	
No. of Aged :	
No. of Single women :	
No. of Physically challenged :	
No. of Mentally Challenged :	
Other category if any :	

Infrastructure/amenities in the shelter :	Yes/No
Well ventilated rooms/dormitories	
Adequate space for each inmates (@ 50 Sq.ft.)	
Lighting	
Fan facilities	
Kitchen with vessels and Gas connectivity	
Piped water Supply	
Cloak room /Personal Lockers	
Space for recreation / Library / Others	
Toilet / Bath Rooms	
Provision for Hot water- Geyser/ Solar device	
Purified water facility- ROs etc	
Cots / Bunker Beds with shelter	
Sleeping mats / blankets	
Washing Provisions - Blankets / Bed Sheets	
Display Board at entrance of shelter	
CCTV Camera Installed	
Fire protection Measures	
Food Arrangements	

Provision for Women :	Yes/No
Disabled :	Yes/No

(Enter no. of Cots/Bunker Beds)

(Enter no. of Sleeping mats / blankets)

(Describe through remark)

(Describe through remark)

Health Care :

First aid kit is with emergency medicines	(Yes/No) (Describe through remark)
Periodicity of Medical check ups	(Enter no. of children)
Number of children enrolled with-ICDS	(Enter no. of children)
Regular School	(Enter no. of inmates)
Number of inmates issued - Indentity cards	(Enter no. of inmates)
Aadhar Cards	(Computerised/ Manual)
Records with Shelter	(Yes/No)
Profile of inmates / Enrollment Register	(Yes/No)
Staff Attendance	(Yes/No)
Stock / Asset Register	(Yes/No)
Books of Accounts	(Yes/No)
Minutes book of SMC	(Yes/No)

Additional (Services/ entitlements/ convergences):

information's if any :

Shelter Photographs

SEND 4 PHOTOGRAPHS OF SHELTER

प्रारूप-1

शेल्डर होम के संचालन की सूचना हेतु प्रारूप

क्र०सं०	शहर का नाम	शेल्डर/लोकेशन का नाम	क्षमता	नगर निगम/ आउटसोर्स संस्था द्वारा संचालन*	केयर टैकर/ प्रबंधक का नाम	दूरमात्र सं०	मोबाइल नम्बर	ईमेल
1	2	3	4	5	6	7	8	9

* यदि शेल्डर आउटसोर्स संस्थ द्वारा संचालित किया जा रहा है तो संस्था का नाम, पता एवं संस्था प्रमुख का नाम एवं मोबाइल नं० आदि का विवरण अलग से उल्लेख करें।

नोट :- शहर में संचालित सभी शेल्डर होम का अलग-अलग विवरण भरा जायेगा।

प्रभारी शेल्डर होम नगर आयुक्त

शेल्डर होम संचालन की दैनिक सूचना हेतु प्रारूप

प्रारूप-2

क्र.सं०	शहर का नाम	शेल्डर होम का नाम	लोकेशन	क्षमता	दिनांक	शेल्डर होम में रात्रि में रुकने वाले व्यक्तियों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8

तिथि

शेल्डर प्रबन्धक / केयरटेकर का नाम व
हस्ताक्षर
तथा मोबाइल नम्बर